

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5125 का उत्तर

हैदराबाद से यादागिरीगुट्टा तक एमएमटीएस रेल

5125. श्री चमाला किरण कुमार रेडी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हैदराबाद से यादागिरीगुट्टा तक एमएमटीएस रेल (यादाद्री) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार ने यह घोषणा की है कि परियोजना के निर्माण हेतु निधि का हिस्सा पूर्णतः तेलंगाना सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि हां, तो की गई घोषणा के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस परियोजना के पूरा होने में अब तक विलंब के क्या कारण हैं; और
- (घ) वर्ष 2025 के केन्द्रीय बजट में यादाद्री एमएमटीएस को आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

- (क) से (घ): हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में उपनगरीय रेल सेवाएं, जिन्हें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सेवा (एमएमटीएस) परियोजना के रूप में जाना जाता है, जिनकी लागत 1169 करोड़ रुपए है, को राज्य सरकार के साथ 1 (रेल मंत्रालय): 2 (तेलंगाना सरकार) के अनुपात में लागत साझा करने के आधार पर स्वीकृति दी गई थी और परियोजना को मार्च 2024 में पूरी तरह से चालू कर दिया गया था।

राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए राज्य सरकार के हिस्से के शेष 279 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है।

मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सेवा परियोजना में निम्नलिखित लाइनें शामिल की गई थी:-

क्र. सं.	लाइनों के नाम	लंबाई (कि.मी.)
1.	घाटकेसर- मौला अलि सी केबिन-चौहरीकरण	12
2	तेलापुर-रामचंद्रपुरम नई लाइन	5
3.	मेडचल-बोलारम-दोहरीकरण	14
4.	फलकनुमा-उमदानगर-दोहरीकरण	14
5.	सनतनगर-मौला अलि सी केबिन बाई पास लाइन का दोहरीकरण	22
6.	सिंकंदराबाद-बोलारम विद्युतीकरण	15
	कुल	82

इसके अतिरिक्त, घाटकेसर-यादाद्री (33 कि.मी.) से तीसरी लाइन, जिसकी लागत 412 करोड़ रुपए है, को 2016 में एमएमटीएस के तहत लागत साझाकरण के आधार पर स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की धनराशि जमा न किए जाने के कारण परियोजना को शुरू नहीं किया जा सका।

रेलवे परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन स्वीकृति, बाधक जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना/ओं के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि। ये सभी कारक परियोजना/ओं के समापन समय को प्रभावित करते हैं।
